आवश्यक निर्देश

1. काउंसलिंग बुलावा पत्र प्रवेश की निश्चितता नहीं है। सभी अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वह सम्बन्धित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु विज्ञापन में दी गई सभी शर्तों को पूर्ण करता हो। अर्ह न होने पर किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। प्रवेश मेरिट के आधार पर उपलब्ध अभ्यर्थियों में से किया जायेगा।
2. यदि आप द्वारा पूर्व में प्रेषित रू0 500/– का बैंक ड्राफ्ट **Registrar, Bhartiya Chikitsa Parishad, Uttarakhand** के नाम का न हो अथवा बैंक ड्राफ्ट पूर्व में प्रेषित न किया गया हो तो इस नाम का नया बैंक ड्राफ्ट काउंसलिंग के दिन प्रस्तुत करें। आप द्वारा पूर्व में प्रेषित त्रुटिपूर्ण बैंक ड्राफ्ट आपको हस्तगत कराया जायेगा।
3. काउंसलिंग के समय सभी अभ्यर्थियों को सभी प्रमाण–पत्रों (हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट की अंक–तालिका तथा प्रमाण पत्र, मूल/स्थाई निवास प्रमाण–पत्र एवं आरक्षण की स्थिति में आरक्षण प्रमाण–पत्र) की मूल प्रति व एक–एक प्रमाणित छायाप्रति भी साथ लानी आवश्यक है। यदि आपने आवेदन पत्र पर अपनी प्रमाणित फोटो चस्पा नहीं की है, तो प्रमाणित फोटो भी साथ लायें।
4. काउंसलिंग में पंजीकरण हेतु शुल्क ₹ 500.00 (₹ पांच सौ मात्र) नकद जमा करवाना होगा।
5. जैसे ही किसी श्रेणी की सीट भर जायेंगीं, उस श्रेणी की काउंसलिंग बन्द कर दी जायेगी।
6. यदि कोई अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए निर्धारित दिन व समय पर उपस्थित नहीं होता है तो उस अभ्यर्थी को अनुपस्थित कर दिया जायेगा। अनुपस्थित अभ्यर्थी अगली काउंसलिंग (यदि होगी तो) में भाग लेने के लिए अर्ह होगा। परन्तु विलम्ब से आने पर उपलब्ध सीटों में से ही आवंटन प्राप्त करने का अधिकार होगा।
7. यदि कोई अभ्यर्थी आवंटन के पश्चात पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लेता है तो वह अगली काउंसलिंग में भाग लेने हेतु अर्ह नहीं होगा।
8. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाण–पत्र जांच कराये जाने पर फर्जी पाये गये तो उस अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
9. अभ्यर्थियों की वरीयता (मैरिट) सूची तथा अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण आवेदन–पत्रों की सूची परिषद की वेबसाईट www.bcputtarakhand.in पर देखी जा सकती है। अपूर्ण/ त्रुटिपूर्ण आवेदन वाले अभ्यर्थी आवेदन पूर्ण करने हेतु बताये गये निर्देशों का पालन करें, अन्यथा आवेदन–पत्र निरस्त समझा जायेगा।
10. काउंसलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को कोई भी मार्ग व्यय या अन्य कोई व्यय देय नहीं होगा।

अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण आवेदनों हेतु निर्देशः

ऐसे अभ्यर्थी जिनका नाम अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण आवेदनों की सूची में है तथा काउंसलिंग में सम्मिलित होना चाहते हैं तो अन्तिम कालम में दी गई अभ्युक्ति के अनुसार अपने आवेदन को पूर्ण करते हुए काउंसलिंग के दिन काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित हो सकते हैं। बैंक ड्राफ्ट गलत नाम से प्रेषित करने वाले अथवा बैंक ड्राफ्ट न प्रेषित करने वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग नया बैंक ड्राफ्ट जमा करने के उपरान्त ही की जायेगी। शेष अभ्यर्थियों की काउंसलिंग अन्य अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के उपरान्त ही सम्भव हो पायेगी।

(रजिस्ट्रार)